आपूर्तिकर्ता आचार संहिता

Fruit of the Loom और हमारी सहयोगी कंपनियों ("FOTL") में, हम हमारा अपना व्यापार व्यापारी नीति के उच्चतम मूल्यों और मानव अधिकार और पर्यावरण के प्रति सम्मान के साथ करने को प्रतिबद्ध हैं। हमारे उत्पादों की आपूर्ति करने वाली सभी सुविधाओं, जिनमें ठेकेदार, लाइसेंस धारक और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिक साझीदार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है (संयुक्त रूप से "आपूर्तिकर्ता" के रूप में उल्लिखित) से हम एक ही वचन को आवश्यक बनाते हैं। यह आपूर्तिकर्ता आचार संहिता उन मानकों को प्रतिबिंबित करती है जिन से हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिबद्धता आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूरी हो और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थना की मूलभूत परंपरा और न्यायपूर्ण श्रम संघ कार्यस्थल आचार संहिता के सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त हो।

मानव-केन्द्रित

रोजगार का संबंध: आपूर्तिकर्ता रोज़गार के उन नियमों और शर्तों का स्वीकार करके पालन करेंगे, जो कर्मचारियों का सम्मान करते हों, और कम से कम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों और नियमों के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा करते है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा: आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता की कार्यप्रणाली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य को क्षति को रोकने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल परिवेश प्रदान करेंगे। किसी आपूर्तिकर्ता की पूरी फैसिलिटी में जिसमें उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा चलायी जाने वाली डॉर्मिटरियाँ भी शामिल हैं, सुरक्षित, स्वच्छ होनी चाहिए और उन्हें लागू होने वाले सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कानूनों और नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। कर्मचारी प्रशिक्षित और अपने कार्यों को सुरक्षित रूप से करने के लिए सुसज्जित होने चाहिए।

बाल मजदूरी: आपूर्तिकर्ता स्थानीय नियम के अनुसार अनिवार्य पढ़ने की आयु या लागू होने वाली कानूनी रोज़गार आयु का उल्लंघन करते हुए व्यक्तियों को काम पर नहीं रखेंगे। किसी भी स्थिति में आपूर्तिकर्ता 15 वर्ष से कम आयु के कामगारों को काम पर नहीं रखेंगे, अलावा उन बाल कलाकारों या मॉडलों के जिनका उपयोग विज्ञापन या मीडिया में किया जाता है, और तब भी यह केवल लागू होने वाले बाल मज़दूरी नियमों के अनुसार ही होगा।

जबरन मजदूरी: आपूर्तिकर्ता जबरन मज़दूरी, जिसमें जेल में मज़दूरी, करारबद्ध या गुलामी में मज़दूरी या बंधुआ मज़दूरी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, उसका उपयोग नहीं करेंगे। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करने के कदम उठाएंगे कि फैसिलिटियों का उपयोग कबूतरबाज़ी के लिए न किया जाए और अपनी आपूर्ति श्रृंखला का ऐसी कार्य रीतियों के लिए निरीक्षण करेंगे।

उत्पीडन या दुर्व्यवहार: आपूर्तिकर्ताओं को सभी कर्मचारियों से आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना होगा। आपूर्तिकर्ताएं ऐसी कार्य रीतियाँ स्थापित करेंगे जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कर्मचारी शारीरिक, यौन, मानसिक या शाब्दिक उत्पीड़न का शिकार न हो।

गैर भेदभाव: आपूर्तिकर्ता किसी को भी नौकरी पर रखने, जिसमें काम पर रखना, प्रतिफल, प्रगति, अनुशासन, नौकरी से निकालना या रिटायरमेंट शामिल हैं, उसमें लिंग, जाति, धर्म, आयु, अक्षमता, यौन रुझान, राष्ट्रीयता, यूनियन से संलग्नता, राजनैतिक राय, सामाजिक समूह या मूल जातिवंश शामिल हैं, के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।

काम करने के घंटे: आपूर्तिकर्ता कर्मचारियों से लागू होने वाले कानून के अनुसार नियमित और ओवरटाइम के घंटों से अधिक समय काम नहीं कराएंगे। किसी भी स्थिति में कार्य सप्ताह 48 घंटों से अधिक का नहीं होगा, और कर्मचारियों को सात दिनों की अवधि में कम से कम लगातार 24 घंटे आराम करने की अनुमति मिलेगी। सारा ओवरटाइम (कर्मचारी की) सहमति से होगा। आपूर्तिकर्ता नियमित रूप से ओवरटाइम की माँग नहीं करेंगे, और ओवरटाइम काम के लिए ऊँची दर पर भुगतान करेंगे। असाधारण परिस्थितियों के अलावा, नियमित और ओवरटाइम घंटों का योग सप्ताह में 60 घंटों से अधिक नहीं होगा।

प्रतिफल: प्रत्येक कर्मचारी को नियमित कार्य सप्ताह के लिए ऐसा प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार है, जो कर्मचारी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने और कुछ अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो। आपूर्तिकर्ता कम से कम न्यूनतम वेतन या उपयुक्त प्रचलित वेतन, दोनों में से जो भी अधिक हो वह चुकाएंगे, वेतन संबंधी सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, और कानून या अनुबंध द्वारा आवश्यक कोई भी अनुषंगी लाभ प्रदान करेंगे। जहाँ प्रतिफल कर्मचारी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न करता हो और कुछ

अतिरिक्त आय प्रदान न करता हो वहाँ पर, आपूर्तिकर्ता उपयुक्त कदम उठाएंगे जिन से प्रतिफल का एक ऐसा स्तर प्राप्त किया जा सके, जो ऐसा करता हो।

संगठन की स्वतंत्रता और संयुक्त सौदेबाजी: आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारियों का संगठन की स्वतंत्रता और संयुक्त सौदेबाज़ी के अधिकार को स्वीकार करके उसका सम्मान करना होगा।

पृथ्वी के प्रति सजग

आपूर्तिकर्ता उनकी कार्यप्रणाली से पर्यावरण पर हुए किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के वाजिब साधन अपनाएंगे। इसके लिए कम से कम, यह आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता सभी स्थानीय और लागू होने वाले पर्यावरण की रक्षा करने वाले कानूनों का अनुसरण करें, जिसमें जोखिमकारी पदार्थों का उपयुक्त भंडारण और निपटान शामिल हैं, और इस तरह से व्यापार करने की कोशिश करें जिससे ऊर्जा की खपत और दुरूपयोग कम हों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इष्टतम हो, और पुनर्चक्रण अधिक-से-अधिक हो।

उत्पाद का सच्चा होना

कानूनों का अनुपालन: इस आचार संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, आपूर्तिकर्ता उनके व्यवसाय को लागू होने वाले सभी अन्य कानूनों, नियमों और अनुबंधों का अनुसरण करेंगे।

व्यवसायिक नीतियाँ: आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार, ज़बरन वसूली, गबन या अधिप्राप्ति किए हुए उत्पाद या सामग्री के बारे में किसी भी तरह की गलतबयानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध में अनावश्यक या अयोग्य फायदे के बदले में रिश्वत देने के प्रस्ताव करना या लेना, और माँग करने पर कच्ची सामग्री के स्रोत प्रकट न करना शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इस निषेध के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप FOTL आपूर्तिकर्ता को फौरन निकाल दिया जा सकता है, और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

उप-ठेकेदार: आपूर्तिकर्ता FOTL के उत्पाद या संघटक बनाने के लिए FOTL की अग्रिम लिखित स्वीकृति के बिना किसी उप-ठेकेदार का उपयोग नहीं करेंगे और वह भी जब उप-ठेकेदार ने लिखित रूप से इस आचार संहिता के अनुसरण की सहमति दी है।

कस्टम अनुपालन: आपूर्तिकर्ता लागू होने वाले सभी कस्टम्स कानूनों का अनुपालन करेंगे और उत्पादों के गैरकानूनी तरीके से भेजे जाने से बचने के लिए कार्यक्रम स्थापित करेंगे और बनाए रखेंगे।

सुरक्षा: आपूर्तिकर्ता FOTL के उत्पादों के शिपमेंट में प्रतिबंधित माल (जैसे कि नशीली दवाएं और अन्य प्रतिबंधित चीज़ें) शामिल किए जाने से बचने के लिए सुरक्षा उपाय करेंगे, जिनमें अमेरिका में भेजे जाने वाले माल के लिए कस्टम्स -ट्रेड पार्टनरशिप अगेन्स्ट टेररिज़म (C-TPAT) का अनुपालन शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है।

कार्यान्वयन और प्रवर्तन

पोस्ट करने संबंधी आवश्यकताएं: आपूर्तिकर्ता इस संहिता को एक स्पष्ट रूप से दिखाई दे ऐसे स्थान पर पोस्ट करेंगे, जहाँ सभी कर्मचारी और मुलाकाती उस तक पहुँच बना पाए, और जो प्रत्येक कर्मचारी, जिसमें विदेशी आप्रवासी कामगार शामिल हैं, सहित हरेक कर्मचारी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा में यह जानकारी उपलब्ध हो। आपूर्तिकर्ता सभी कर्मचारियों को इस आचार संहिता के बारे में बताएंगे और हर साल उन्हें इसके संघटकों में प्रशिक्षित करेंगे।

रिकॉर्ड रखना: आपूर्तिकर्ता इस आचार संहिता के प्रत्येक संघटक से संबंधित पूर्ण और सटीक रिकॉर्ड बनाएंगे ताकि अनुपालन का सत्यापन हो सक।

आपूर्तिकर्ता मार्गदर्शिकाएं; लाइसेंसधारक अनुपालन हस्त पुस्तिका: जहाँ लागू हो, आपूर्तिकर्ता आपूर्तिकर्ता मार्गदर्शिकाओं एवं/अथवा लाइसेंसधारक सामाजिक अनुपालन हस्तपुस्तिका में वर्णित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे, जिसे FOTL की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.fotlinc.com पर प्राप्त किया जा सकता है।

मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई: FOTL इस आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक एवं स्वतंत्र ऑडिटरों का उपयोग करता है, जो कि साइट पर एवं/अथवा वर्च्यूअल मूल्यांकन करते हैं। आपूर्तिकर्ता इन सभी मूल्यांकनों में पूरी तरह से सहयोग देंगे और विस्तृत अनुपालन रिकॉर्ड समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे। आपूर्तिकर्ता FOTL से साथ मिल कर जिन क्षेत्रों में आवश्यकताओं का अनुपालन न किया जा रहा हो उनमें सुधार के लिए वाजिब सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएंगे।

उल्लंघनों की रिपोर्ट करना: आचार संहिता के संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए, FOTL के कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी विभाग से फोन द्वारा +1-270-935-2588 पर, ईमेल द्वारा code@fotlinc.com पर, या फिर दाँये दिए हुए कोड को स्कैन करके संपर्क करें। कृपया शामिल पक्षों और कथित उल्लंघन (उल्लंघनों) का विवरण, समस्या का सीधे समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों और हम गोपनीय रूप से चिंता के बारे में संचार कर सकें इसके लिए संपर्क जानकारी प्रदान करें। हम इस आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाले, या इसकी खोजबीन में सहायता करने वाले किन्हीं भी व्यक्तिओं के विरुद्ध बदले की गतिविधि पर गंभीरता से प्रतिबंध लगाते हैं। बदले की किसी भी कार्रवाई की रिपोर्ट ऊपर बताए अनुसार FOTL को की जानी चाहिए।

संशोधित फरवरी 2022